

14/12/2020

पत्रावली पेश हुई। कोर्टि-1) के आदेशानुसार
संघ की तरफ से न्यायालय र-2 गित कराने
के अब पत्रावली दिनांक 13-01-2021 पुर्वाहारा
के पेश है।

उपखण्ड अधिकारी

13/01/2021

पत्रावली पेश हुई। आदेशानुसार संघ द्वारा
न्यायालय को न्यायालय र-2 गित कराने
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
16/12/2020 को पेश की जावे।

[Signature]

16/02/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रय पक्ष उपस्थित।
वकील पार्टी द्वारा आ फ (0) 0) (R) 10 जा फी.
का पेश किया जिसकी प्रति वकील अ पार्टी के
दिले गए। पत्रावली वास्ते आ जाव आ फ
दिनांक 13/03/2021 के पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रावलभाटा (चित्तौड़गढ़)

17/03/2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्टी उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पार्टी
को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजों एवं वकील
पार्टी के कथन के अनुसार र-2 गित निषेध रखा
जारी किया जाना आवश्यक एवं उचित उचित
नहीं होता है। (पार्टी) पत्र इसी स्तर पर
रवरीज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद
के साथ शामिल की जाकर फेसल शुमार
होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
रावलभाटा (चित्तौड़गढ़)